

**Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017**

**Section 7: Calculation and release of compensation**

- (1) The compensation under this Act shall be payable to any State during the transition period.
- (2) The compensation payable to a State shall be provisionally calculated and released at the end of every two months period, and shall be finally calculated for every financial year after the receipt of final revenue figures, as audited by the Comptroller and Auditor-General of India:

**Provided** that in case any excess amount has been released as compensation to a State in any financial year during the transition period, as per the audited figures of revenue collected, the excess amount so released shall be adjusted against the compensation amount payable to such State in the subsequent financial year.

- (3) The total compensation payable for any financial year during the transition period to any State shall be calculated in the following manner, namely: –
  - (a) the projected revenue for any financial year during the transition period, which could have accrued to a State in the absence of the goods and services tax, shall be calculated as per section 6;
  - (b) the actual revenue collected by a State in any financial year during the transition period shall be –
    - (i) the actual revenue from State tax collected by the State, net of refunds given by the said State under Chapters XI and XX of the State Goods and Services Tax Act;
    - (ii) the integrated goods and services tax apportioned to that State; and
    - (iii) any collection of taxes on account of the taxes levied by the respective State under the Acts specified in sub-section (4) of section 5, net of refunds of such taxes,as certified by the Comptroller and Auditor-General of India;
  - (c) the total compensation payable in any financial year shall be the difference between the projected revenue for any financial year and the actual revenue collected by a State referred to in clause (b).
- (4) The loss of revenue at the end of every two months period in any year for a State during the transition period shall be calculated, at the end of the said period, in the following manner, namely: –
  - (a) the projected revenue that could have been earned by the State in absence of the goods and services tax till the end of the relevant two months period of the respective financial year shall be calculated on a *pro-rata* basis as a percentage of the total projected revenue for any financial year during the transition period, calculated in accordance with section 6.

**Illustration** – If the projected revenue for any year calculated in accordance with section 6 is one hundred rupees, for calculating the

**Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017**

projected revenue that could be earned till the end of the period of ten months for the purpose of this sub-section shall be  $100 \times (5/6) = ₹ 83.33$ .);

- (b) the actual revenue collected by a State till the end of relevant two months period in any financial year during the transition period shall be—
- (i) the actual revenue from State tax collected by the State, net of refunds given by the State under Chapters XI and XX of the State Goods and Services Tax Act;
  - (ii) the integrated goods and services tax apportioned to that State, as certified by the Principal Chief Controller of Accounts of the <sup>1</sup>[Central Board of Indirect Taxes and Customs]; and
  - (iii) any collection of taxes levied by the said State, under the Acts specified in sub-section (4) of section 5, net of refund of such taxes;
- (c) the provisional compensation payable to any State at the end of the relevant two month period in any financial year shall be the difference between the projected revenue till the end of the relevant period in accordance with clause (a) and the actual revenue collected by a State in the said period as referred to in clause (b), reduced by the provisional compensation paid to a State till the end of the previous two months period in the said financial year during the transition period.
- (5) In case of any difference between the final compensation amount payable to a State calculated in accordance with the provisions of sub-section (3) upon receipt of the audited revenue figures from the Comptroller and Auditor-General of India, and the total provisional compensation amount released to a State in the said financial year in accordance with the provisions of sub-section (4), the same shall be adjusted against release of compensation to the State in the subsequent financial year.
- (6) Where no compensation is due to be released in any financial year, and in case any excess amount has been released to a State in the previous year, this amount shall be refunded by the State to the Central Government and such amount shall be credited to the Fund in such manner as may be prescribed.

---

<sup>1</sup> Substituted for "Central Board of Excise and Customs" by Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Act, 2018 (34 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 1/2019-GST Compensation, dt. 29-01-2019.

**धारा 7 : प्रतिकर की संगणना और उसका जारी किया जाना**

- (1) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर संक्रमणकालीन अवधि के दौरान, किसी राज्य को संदेय होगा।
- (2) राज्य को संदेय प्रतिकर प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर अनन्तिम रूप से संगणित और जारी किया जाएगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम रूप से संगणित किया जाएगा :

**परन्तु** यदि, संगृहीत राजस्व के संपरीक्षित आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को प्रतिकर के रूप में कोई अतिरिक्त रकम जारी कर दी है तो इस प्रकार जारी की गई रकम पश्चात्पूर्वी वित्तीय वर्ष में ऐसे राज्य को संदेय प्रतिकर की रकम के प्रति समायोजित की जाएगी।

- (3) किसी राज्य को संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए संदेय कुल प्रतिकर निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-
  - (क) संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा अनुमानित राजस्व, जो माल और सेवा कर के अभाव में किसी राज्य को प्रोद्भूत हुआ हो, धारा 6 के अनुसार संगणित किया जाएगा;
  - (ख) संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा संगृहीत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित वास्तविक राजस्व निम्नलिखित होगा -
    - (i) राज्य द्वारा संगृहीत राज्य कर से वास्तविक राजस्व, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 11 और अध्याय 20 के अधीन उक्त राज्य द्वारा दिए गए शुद्ध प्रतिदाय;
    - (ii) उस राज्य को प्रभाजित एकीकृत माल और सेवा कर; और
    - (iii) धारा 5 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, क्रमिक राज्य द्वारा उद्गृहीत करों के मद्दे करों का कोई संग्रहण, ऐसे करों का शुद्ध प्रतिदाय;
  - (ग) किसी वित्तीय वर्ष में संदेय कुल प्रतिकर किसी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट राज्य द्वारा संगृहीत वास्तविक राजस्व के बीच का अन्तर होगा।
- (4) संक्रमण अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए किसी वर्ष में प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर राजस्व की हानि की संगणना उक्त अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :
  - (क) अनुमानित राजस्व, जो क्रमिक वित्तीय वर्ष की सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति तक माल और सेवा कर के अभाव में राज्य द्वारा उपार्जित किया गया होता, धारा 6 के अनुसार, संगणित संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल अनुमानित राजस्व की प्रतिशतता के रूप में आनुपातिक आधार पर संगणित किया जाएगा।

**माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017**

**दृष्टांत :** यदि किसी वर्ष के लिए धारा 6 के अनुसार, संगृहीत अनुमानित राजस्व, एक सौ रूपए है तो ऐसे अनुमानित राजस्व, जो इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दस मास की अवधि की समाप्ति तक उपार्जित किया जा सकता है, की संगणना करने का सूत्र,  $100 \times (5/6) = 83.33$  रूपए होगा;

(ख) किसी राज्य द्वारा संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति तक संगृहीत वास्तविक राजस्व निम्नलिखित होगा—

(i) राज्य द्वारा संगृहीत राज्य कर से वास्तविक राजस्व, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 11 और अध्याय 20 के अधीन राज्य द्वारा दिए गए शुद्ध प्रतिदाय होगा;

(ii) <sup>1</sup>[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड] के प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक द्वारा यथा प्रमाणित, उस राज्य के लिए प्रभाजित एकीकृत माल और सेवा कर होगा; और

(iii) धारा 5 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, उक्त राज्य द्वारा उद्गृहीत करों का कोई भी संग्रहण, ऐसे करों का शुद्ध प्रतिदाय होगा;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति पर किसी राज्य को संदेय अनन्तिम प्रतिकर खण्ड (क) के अनुसार, सुसंगत अवधि की समाप्ति तक अनुमानित राजस्व और खण्ड (ख) में यथा निर्दिष्ट उक्त अवधि में राज्य द्वारा संगृहीत वास्तविक राजस्व में से संक्रमण अवधि के दौरान उक्त वित्तीय वर्ष में पूर्व दो मास की अवधि की समाप्ति तक राज्य को संदत्त अनन्तिम प्रतिकर को घटा कर आए राजस्व के बीच का अन्तर ऐसा होगा।

(5) भारत का नियंत्रक—महालेखापरीक्षक से संपरीक्षित राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति पर उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार, संगणित राज्य को संदेय अनन्तिम प्रतिकर की रकम और उपधारा (4) की उपबन्धों के अनुसार, उक्त वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को जारी कुल अनन्तिम प्रतिकर रकम, के बीच अंतर की दशा में उसे पश्चात्पूर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य को प्रतिकर के जारी किए जाने के प्रति समायोजित किया जाएगा।

(6) जहां किसी वित्तीय वर्ष में कोई प्रतिकर जारी नहीं किया जाना है और यदि पूर्व वर्ष में किसी राज्य को कोई अतिरिक्त रकम जारी की गई है तो वहां यह रकम केन्द्रीय सरकार को राज्य द्वारा वापस लौटा दी जाएगी और ऐसी रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निधि में जमा की जाएगी।

---

1 माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 34) द्वारा "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019—माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर), दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।